an>

Title: Motion regarding election of two Members of Lok Sabha to General Council of Rehabilitation Council of India.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि भारतीय पुनर्वास परिÂषद् अधिनियम, 1992 (1992 का संख्यांक 34) (2000 में यथासंशोधित) की धारा की धारा 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिÂषद् की महापरिÂषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक या उनके उत्तरवर्ती की विधिवत नियुक्ति होने तक, जो भी अधिक हो, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of clause (h) of Sub-section (3) of Section-3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (No. 34 of 1992) (as amended in 2000), read with Section 4 of the said Act, the Members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct two members from amongst themselves to serve as members of the General Council of Rehabilitation Council of India for a term of two years from the date of their appointment or until their successor shall have been duly appointed whichever is longer, subject to the other provisions of the said Act and Rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.09 hours